

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर समक्ष अध्यक्ष महोदय



प्रकरण क्र.....

नियत दिनांक:

उमेश कुमार आ० श्री सेठ शिवप्रसाद पालीवाल

निवासी ग्राम सांगाखेड़ाखुर्द तह. बाबई जिला होशंगाबादआवेदक

PCR/पुनर्विलोकन/होशंगाबाद/भू-२१/२०१७/२५६९
बनाम

अभिलेख नं० 1) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर महोदय होशंगाबाद

अभिलेख नं० 2) कैलाश कुमार आ० श्री सेठ शिवप्रसाद

कैलाश कुमार 3) महेश कुमार आ० श्री सेठ शिवप्रसाद

पुस्तुत/ 2 एवं 3 निवासी ग्राम सांगाखेड़ाखुर्द तह. बाबई जिला होशंगाबाद

28/7/17 4) तहसीलदार महोदय बाबईअभावेदक

28/7/17

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर अध्यक्ष महोदय द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. 676-पी.बी.आर./2015 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2017 जिसकी जानकारी आवेदक को माननीय न्यायालय की आदेश पत्रिका एवं काज लिस्ट में वर्णित दिनांक 26.7.2017 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर हुई से विपरीत प्रभावित होकर आवेदक यह पुनर्विलोकन आवेदन इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

- 1) यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पत्रिका एवं काज लिस्ट में वर्णित की गई तिथि दिनांक 26.7.2017 से पूर्व बगैर किसी आधार के प्रकरण आदेश पत्रिका से हटकर दिनांक 28.6.2017 को लिया गया जो कि अभिलेख के आधार पर प्रगट त्रुटि है। इस संबंध में दस्तावेज ए-1 ए-2, ए-3 एवं ए-4 अवलोकनीय है।

Signature

PB R/पुनर्वि/41 /दोसंकांक/2.2/2017/2469

308/2017

प्रकरण भाज राष्ट्रीय सुनवाई के
आवेदन पर लिखा गया। आवेदक अभिभाषक
श्री रमन वालीवाल उपस्थित। उनके द्वारा
निवेदन दिया कि माननीय उच्च न्यायालय
में रिट याचिका क्रमांक 12838/17 संकेत
होने से पुनर्विलोकन आवेदन प्रत्याहरित
करना चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया
जाता है। प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अ
राम

अ
राम

उक्त प्रकरण
में रिट न
दिए जा
ए